डॉ. उमाशंकर गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास
राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी, वाराणसी
मो.– 9415391389

HISTORY

(इतिहास)

बी.ए. द्वितीय वर्ष

स्वराज्य दल के गठन का कारण एवं कार्य

स्वघोषणा (disclaimer/self-declaration)

यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है | आर्थिक/वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है | सामग्री के उपयोगार्थ इसे किसी और के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे और इसका प्रयोग व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति के लिए ही करेंगे | इस कंटेंट में जो जानकारी दी गयी है वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है |

"The content is exclusively meant for academic purposes and for enhancing teaching and learning. Any other use for economic/commercial pupose is strictly prohibited. The ushers of the content shall not distribute, dissiminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The information provided in this e-content is authentic and best as per my knowledge."

स्वराज्य दल के गठन का कारण एवं कार्य

12 फरवरी 1922 ई0 को गांधी द्वारा असहयोग आन्दोलन स्थगित करने के पश्चात कांग्रसी नेताओं के बीच वैचारिक मत भेद काफी बढ़ गया चितरंजनदास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल ने गांधी जी की नीतियों की कटु आलोचना की। इस परिर्वतन वादी नेताओं का विचार था कि कांग्रेज का विधान सभाओं में प्रवेश करके 'स्वराज्य' का लक्ष्यय प्राप्त करना चाहिए। अतः 1922 ई0 के गया अधिवेशन में चितरंजन दास ने अध्यक्ष के रूप में परिवर्तनवादी एक प्रस्ताव रखा किन्तु अधिवेशन में गांधी जी के सत्याग्रही आन्दोलनकारियों का बहुमत होने के कारण प्रस्ताव 89 के विरूद्ध 1748 मतो से अस्वीकृत हो गया। अतः चितरंजनदास, पं0 मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया ओर 1 जनवरी 1923 ई0 को इलाहाबाद में स्वराज्य दल की स्थापना की।

स्वराज्य पार्टी के गठन का कारणः– स्वराज्य दल के गठन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे–

1– स्वराज्य दल की स्थापना का प्रमुख कारणय कांग्रसी नेताओं के बीच वैचारिक मत भेद उत्पन्न होना था। चितरंजनदास एवं मोतीलाल नेहरू का मानना था कि औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने हेतु नई नीति अपनायी जाय। विधान परिषदों की सदस्यता ग्रहण करके पाखण्डी संसद का पर्दाफाश किया जाय।

2–स्वराज्यवादियों का मानना था कि खिलाफत आन्दोलन की समाप्ति होने पर ऐसे आन्दोलन की आवश्यकता है, जिससे मुखलमानो की राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ा जा सके।

3–भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मुख्य शक्ति नौकरशाही थी। स्वराज्यवादियों का कहना था कि विधान परिषदों का सदस्य बनकर नौकरशाही को कमजोर किया जा सकता है।

4–स्वराज्यवादी नेता गांधी जी की प्रत्यक्ष कार्यवाही के स्थान पर संसदवाद की नीति पर चलना चाहते थे।

5–स्वराज्यवादी कौंसिलों में सरकार के समर्थकों को रोकना चाहते थे, जिससे सरकार का संसदीय ड्रामा न चल सके।

स्वराज्य दल के उद्देश्यः– स्वराज्य पार्टी को प्रथम अधिवेशन 1 माच 1923 ई0 को इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष सितारमन दास ने पार्टी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि '' स्वराज्य दल का उद्देश्य स्वराज्य या डोमिनियन स्टेट्स'' प्राप्त करना है। पार्टी कांग्रेस के अहिंसात्मक असहयोग नीति का सदैव समर्थन करेगी। उन्होनें यह भी कहा कि पार्टी विधान सभा चुनावों में भाग लेकर तथा सीटों को जीत कर परिषदों में अवांछनीय तत्वों को रोकना चाहती है ताकि सरकार को सुधारों को लागू करने के लिए बाध्य किया जा सके।

स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रमः– स्वराज्य पार्टी के प्रगुख कार्यक्रम निम्नलिखित थे।

1. **ब्रिटिश नौकरशाही को दुर्बल करनाः–** अंग्रेजी सरकार अपनी सुरक्षा के लिए नौकरशाही पर निर्भर थी। अतः उन प्रस्तावों का विराध करना जिससे नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जाता है।
2. **बजट रद्द करनाः–** शासन के कार्यो में बाधा डाल कर प्रशासन के कार्य को रोक देना। अतः विधानसभाओं में सरकारी बजट रद्द करना है।
3. **राष्ट्री की शक्ति को उन्नत करनाः–** कौंसिलों में ऐसे कल्याणकारी प्रस्तावों को पारित कराना, जिससे भारतीय जनता का कल्याण हो और राष्ट्र शक्तिशाली हो।
4. **कांग्रेस के रचनात्मक कार्यो में सहयोगः–** स्वराज्यवादियों का मानन था कि कौंसिलों के बाहर गांधी जी और कांग्रेस के रचनात्मक कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि सविनय अवज्ञा आन्दोलन की तैयारी की जा सके।
5. **प्रशासन के प्रभावशाली पदो पर अधिकार करनाः–** कौंसिल के सदस्य के रूप में उन सभी पदों पर अधिकार करना ताकि सरकार के कार्यो में बाधा डाला जा सके।
6. **असफल होने पर पद का त्यागः–** स्वराज्यवादियों का मानना था कि यदि वे 1919 के सुधारों को असफल करने तथा नौकरशाही की निरंकुशता को रोकने में असफल होंगे, तो वे अपने पदों का त्याग देंगे और विधान परिषद का बहिष्कार करेंगे।

स्वराज्य पार्टी के कार्य एवं उपलब्धियाँः– 1923 ई0 के आम चुनाव में स्वराज्य पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई। उसे केन्द्रीय विधान सभा में 101 निर्वाचित सीटों में 45 स्थान मिला बंगाल एवं मध्य प्रांत में उसे बहुमत प्राप्त हुआ। 1925 ई0 मे स्वराज्यवादी नेता विट्ठलभाई पटेल केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज्य पार्टी के प्रमुख कार्य या उपलब्धि निम्नलिखित है–1

1. 1924 ई0 में स्वराज्य दल ने एक प्रस्ताव पारित कराया, जिसमें कहा गया था कि सरकार 1919 के सुधार एक्ट में संशोधन करे। नया संविधान बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों से विचार विम्रर्श करे और इसके लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाये।
2. 1924 ई0 में भारतीय सिविल सेवास सके सम्बन्ध में जब कमीशन की रिर्पोट विधान परिषद में रखी गई, तब मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में परिषद ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्योकि इसमें यूरोपियनों को अधिक लाभ दिया गया था।

3. 1924 ई0 से 1927 ई0 के बजटो का स्वराज दल ने प्रतिवर्ष अस्वीकार कर दिया। अतः विवश होकर गवर्नर जनरल ने उसे अपने विशेषाधिकार से पारित किया।
4. स्वराज्यदल ने 1919 ई0 के दमनात्मक कानूनों के विरूद्ध एक प्रस्ताव पास किया तथा राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग संम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया।
5. स्वराज्य दल ने विरोध प्रकट करने के लिए सरकारी समारोही एवं उत्सवों का बहिष्का किया।
6. मध्य प्रांत एवं बंगाल प्रांत की विधान परिषद में बहुमत होने के बावजूद पार्टी ने मंत्री पद स्वीकार न करके द्वैधशासन प्रणाली को असफल कर दिया।
7. स्वराजवादियों ने नगरपालिकाओं में जनता का जीवनस्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक रचनात्मक एवं जनकल्याण के कार्य किए।

स्वराज्य पार्टी का पतनः– 1925 ई0 में स्वराज्य पार्टी के जन्म दाता चितरंजनदास की मृत्यु हो गई। प्रारम्भ में पार्टी की नीति सरकार के साथ असहयोग की थी किन्तु चितरंजनदास की मृत्यु के पश्चात पार्टी ने अड़ंगा नीति का त्यागकर सीमित सहयोग की नीति स्वीकार कर ली। इससे पार्टी की लोकप्रियता कम होने लगी। 1926 ई0 के चुनावों में स्वराज्य दल को 1923 की अपेक्षा कम सफलता प्राप्त हुई। दूसरी ओर चितरंजनदास के पश्चात स्वराज्य दल में कोई दूसरा सर्वमान्य नेता नही हुआ, जो सभी को एकजुट रख सके। धीरे–र स्वराज्य दल में 2 गुट बन गए–मुम्बई के स्वराज्यवादी एवं मोती लाल नेहरू के नेतृत्व वाले स्वराज्यवादी। अतः 1930 ई0 तक स्वराज्य दल का पतन हो गया। सभी नेताओं ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेकर गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। बेल्स फोर्ड ने लिखा है–''स्वराज्य दल की अड़ंगा नीति उचित थी क्योकि उसने अनुदार दल को इस बात का विश्वास दिला दिया कि द्वैध शासन प्रणालरी अव्यवहारिक थी''